Programmer 23/3/17

(वेबसाईट पर अपलोड ~~करने बाबत~~)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड तृतीय, सि.क्षे.वि. सूरतगढ़

क्रमांक :– प.लेखा–IV/निविदा/ 3347 दिनांक :– 22/03/2017

ई–निविदा सूचना संख्या : 04/2016–17

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के " सी" श्रेणी या इससे उपर की श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा आन लाइन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू. लाखों में)	धरोहर राशि रूपयों में		ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रू. में	निविदा शुल्क रू. में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			0.5%	2%			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खालों का निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (सीमेन्ट एवं सामग्री ठेकेदार स्वयं की होगी)							
1	चक 16 GB	75.20	37600	150400	1000/-	1000/-	5 माह
2	चक 38 GB	50.05	25025	100100	1000/-	1000/-	5 माह

1. निविदा प्रपत्र को वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदा में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http://www. eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाइट http:// www. dipronline. org, एवं www. sppp.raj.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट http:// www. cad.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 27.03.2017 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 18.04.2017 सांय 5:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 27.03.2017 को प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 18.04.2017 सांय 5.00 बजे तक अपलोड करवाया जा सकता है एवं प्राप्त तकनीकी निविदा इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 19.04.2017 को मध्यान्ह् पश्चात् 4.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।

   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया आन लाइन होगी।

   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नही खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई धरोहर राशि अद्योहस्ताक्षकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न करनी होगी।

4. मोर्टार मिक्सिग का कार्य मैकेनिकल मिक्सर के द्वारा संवेदक को करना होगा।

5. कार्यो से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.03.2017 से 18.04.2017 तक 9.30 बजे पूर्वान्ह से 12.00 बजे अपरान्ह् तक देखा जा सकता है।

6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि बैंकर चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 19.04.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

9. निविदादाता इन पप्रत्रों को डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय मे निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

11. आर.पी.डब्ल्यू. ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज सामान जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

13. कार्यपूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।

14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिट पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णतया के पश्चात् एक पूरी वर्षा ऋतु की समाप्ति या त्रुटि निवारण अवधि की समाप्ति के पश्चात् अथवा 6 मास पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो तक रहेगा।

15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

16. वित्त विभाग के आदेश सं. एफ–1 एफ.डी./जीएफएण्डआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

17. ई--टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश

(अ) इन निविदाओं में रूचि रखने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नही होगा।

(द) ऑन लाईन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या–3 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

(र) कोई भी टेण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।

18. **संविदाकर्ता / ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियो. एवं सेवा शर्ते विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करना होगा तथा श्रमिकों को उक्त अधिनियम के** प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।

19. शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।

अधिशाषी अभियन्ता,
गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड तृतीय
सि.क्षे.वि., सूरतगढ़